(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी 1102-II-15

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–उमरिया

विनोद तिवारी पुत्र स्व. श्री भगवानदीन तिवारी
निवासी– वार्ड नं. 12 उमरिया, जिला–उमरिया
(म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती कचंन खट्टर पत्नी श्री सूरज खट्टर
निवासी– वार्ड नं. 7 पुराना पड़ाव उमरिया,
जिला–उमरिया (म.प्र.) .....अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ जिला उमरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 10232/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1– यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ जिला उमरिया द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया है वह अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ जिला उमरिया द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही एवं आपत्तियों का विधिवत् निराकरण किये बिना ही जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के समक्ष आवेदक की और से स्पष्ट आपत्ति इस आशय से प्रस्तुत की गयी थी, कि अनावेदिका कचंन खट्टर का जाति प्रमाण पत्र राजस्व प्रकरण क्रमांक 2048/बी–121/2013–14 दिनांक 03.01.2014 को जारी किया गया है। जोकि अधिकारिता रहित है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ को सामान्य वर्ग की महिला को पिछडी जाति के संबंध में जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया है, वह अधिकारिता रहित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

4– यहकि, अनावेदिका श्रीमती कचंन खट्टर सामान्य जाति की महिला है, ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सूची में उल्लेखित पिछडी जातियों के अनुसार जाति प्रमाण प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं है। क्योंकि वह सामान्तय वर्ग की महिला है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से आपत्ति की गयी थी। किन्तु इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ द्वारा जो जाति प्रमाण जारी किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था, कि अनावेदिका श्रीमती कचंन खट्टर के हित में जो जाति प्रमाण पत्र राजस्व प्रकरण क्रमांक 2048/बी–121/2013–14 दिनांक 03.01.2014 को जारी किया गया है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित है अथवा नहीं। और अधिकारिता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा अधिकारिता के अन्तर्गत जारी किया गया है, अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह राजस्व प्रकरण क्रमांक 2048/बी–121/2013–14 दिनांक 03.01.2014 को अभिलेखागार से बुलाकर उसकी विधिवत् जॉच करने के पश्चात् आदेश पारित करते चूकि इस प्रकरण में आवेदक की आपत्ति मात्र इस आधार पर निरस्त कर दी गयी है। कि जाति

17/11/17

आवेदक अधि० श्री के० के० द्विवेदी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

आवेदक अभिभाषक का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है।

सदस्य

आगे नहीं चलाना चाहते

17-11-17